छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक– 13.06.2016

क्रमांक 1125/1215/16श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत संयुक्त निरीक्षण/एकीकृत निरीक्षण प्रणाली की व्यवस्था निरूपित करने का परामर्श दिया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत कारखानों/स्थापनाओं में निरीक्षकों के द्वारा निरीक्षण हेतु प्रवेश करने पर निम्नांकित श्रम अधिनियमों (जो लागू हो) के अंतर्गत आवश्यक रूप से एक ही बार में निरीक्षण किया जावेगा :–

1. समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976,
2. कारखाना अधिनियम 1948,
3. न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948,
4. छ.ग.दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, (यदि लागू हो)
5. बोनस भुगतान अधिनियम 1965,
6. मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936,
7. उपादान भुगतान अधिनियम 1972,
8. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961,
9. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970
10. छ.ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982

कारखानों में कारखाना निरीक्षक एवं श्रम निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जावेगा। इस व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत निरीक्षण आबंटन प्रणाली के माध्यम से श्रमायुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा कार्यान्वित कराया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

13/6/16
(याकुब खेस्स)
उप सचिव,श्रम विभाग

पृष्ठा.क. 1126/1214/2016/16 रायपुर, दिनांक – 13.06.16

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, श्रम विभाग, छ.ग.शासन, रायपुर ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
3. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
4. मुख्य कारखाना निरीक्षक, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, रायपुर ।
5. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, छ.ग.रायपुर ।
6. विभाग के सभी संबंधित अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

13/6/16

उप सचिव,
श्रम विभाग